संख्या- 20/2025/943/58-2025-1915164

प्रेषक,

विनय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीन मांग के माध्यम से अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0303-उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख को अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-151/बजट/2024-25, दिनांकः 30.03.2025 एवं पत्रांक-11/बजट/2025-26, दिनांकः 23.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नवीन मांग के माध्यम से अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0303-उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकारकेन्द्र सरकार अथवा/ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंकडाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।/
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसारन किया जायेगा।निर्धारित मानकों के अधी/

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

6. स्वीकृत धनराशि का आहरणसमय पर-त्त विभाग द्वारा समयव्यय करते समय वि/ निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मदकार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न /योजना/ होगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समयसमय पर- स्थलीय निरीक्षणअनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित/ समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

10. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गतमाध्यम से किया जायेगा।/

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय- -ज्ञाप संख्या6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-03-2025 एवं समयगये समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये- दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन - सुनिश्चित किया जायेगा।

12. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

13. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

14. उद्यान शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है, तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य

https://shasanadesh.up.gov.in

प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190303 (उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190303 उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना	42 अन्य व्यय	3,10,000 (रुपये तीन लाख दस हजार मात्र)
2	010	2401001190303 उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
3	010	2401001190303 उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	76,30,000 (रुपये छिहत्तर लाख तीस हजार मात्र)
4	010	2401001190303 उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,60,000 (रुपये दो लाख साठ हजार मात्र)
	कुल			**1,00,00,000**

				(रुपये एक करोड़ मात्र)

महायोग	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-1-22-X-2025-26-दिनांक:6-5-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या-20 /2025/ 943(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।